मूल कर्तव्य

भारतीय संविधान के भाग 4क, अनुच्छेद 51क में मूल कर्तवयों का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। भारत के संविधान में मूल कर्तवयों को सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर जोड.ा गया था। इसके लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा भारत में घोषित राष्ट्रिय अपातकाल के दौरान 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इस अनुच्छेद के अधीन भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह–

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करे,

2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रिय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे,

3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे,

4. देश की रक्षा और सेवा करे,

5. भारत के सभी लोंगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, ऐसी प्रथाओं का विरोध करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो,

6. भारत की सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका पालन करे तथा उसकी रक्षा करे,

7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे,

8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे,

9. सार्वजनिक संपति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे,

10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे,

11. माता पिता या अभिभावक 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे।

मूल कर्तव्यों की विशेषताएं

संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश करने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके सामाजिक और आर्थिक दायित्वों के प्रति सचेत करना तथा उन्हें अपने देश और साथी नागरिकों के हितों तथा भविष्य की पीढी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए काम करने और केवल अपने हि हित में सबकुछ न करने की सोंच देता है। कुछ प्रमुख विशेषताओं को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है–

1. यह भारत में निवास करने वाले लोगों के लिए नैतिक और नागरिक कर्तव्यों का निर्धाण करते हैं,

2. यह धार्मिक बहुलता का सम्मान करने और आपसी भाईचारे का विकास तथा समन्वय स्थापित करने की ओर प्रेरित करते हैं जो देश की एकता और अखण्डता के लिए एक आवश्यक शर्त है,

3. यह भारत में निवास करने वाले सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह देश के नागरिक हो या विदेशी,

4. निदेशक तत्वों के समान मौलिक कर्तव्य भी गैर न्यायोचित हैं, हालांकि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके कियान्वयन के लिए कानून बना सकती है। न्यायालयों द्वारा भी इस संबंध में उपयुक्त निदेश दिया जा सकता है। जैसे, राष्ट्रिय सम्मान की अवमानना पर रोक संबंधी विधेयक,1971 आदी।

5. यह राज्य के साथ साथ माता पिता और अभिभावकों के लिए भी यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वे बाल्यावस्था में बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रबंध करें।

6. मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के साथ संविधान को सामाजिक आर्थिक आधार प्रदान करते हैं।

मूल कर्तयों की आलोचना

1. मूल कर्तव्यों का पालन न करने पर उसे न्यायालय में चुनौति नहीं दी जा सकती, अर्थात यह न्यायोचित नहीं है,

2. यह आदर्शात्मक अधिक है,

3. यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि भारतीय नागरिको के साथ साथ गैर भारतीयों पर भी यह कर्तव्य समान रूप से लागू होते हैं या नहीं,

4. क्योंकि संविधान निर्माताओं द्वारा मूल कर्तव्यों के संबंध में अलग से प्रावधान नहीं किया गया था, अतः आपातकाल के समय इन कर्तव्यों को शामिल करने के पीछे नागरिकों के आक्रोश को दिग्भ्रमित करने के तौर पर देखा जाता है।

5. मूल कर्तव्यों को भाग 3 में मौलिक अधिकारों के साथ शामिल करने से अधिकारों के साथ कर्तव्यों का समन्वय स्पष्ट होता। नीति निदेशक तत्वों के साथ शामिल होने से इन्हें भी केवल नैतिक आदेशों के तौर पर ही देखा जाता है।

उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद मूल कर्तव्यों के महत्व को कम नहीं माना जा सकता। यह उन असंवैधानिक तत्वों को एक चेतावनी के रूप में है जो संविधान को जलाने और लोक संपति का विनाश करने जैसे असामाजिक कार्य करते हैं। यह नागरिकों के लिए प्रेरणा स्त्रोत हैं, और उनमें समाज और देश के प्रति अनुशासन और जवाबदेही तय करते हैं। यह नागरिकों के लिए अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों के पालन के प्रति भी सजग करते हैं।